

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....

सहायक कलेक्टर

(S.D.O) बायतु

मुकाम.....

टीकराम

बनाम.....

भैराराम बैरा

किस्म मुकदमा.....

सी० झवेदन

111, 128 RLR जं

110/2022

सन 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>11/03/2022</p> <p>21/04/2022</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>दामपडाराम साहू</u></p> <p>ने यह प्रार्थनी पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR</u></p> <p>राजस्थान काफ़्तकारी/भू-संज्ञस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/04/2022</u> को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/प्रतिवादी के नोटिस तामिल दुहा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी/प्रतिवादी का वजुद तामिल अनुपस्थित। व्यामालय समय तीन बार आवाज लगाई गई किन्तु आवाज 5-45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी/प्रतिवादी स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिकार उपस्थित नहीं हुआ किन्तु विप्रार्थी/प्रतिवादी के बिरुद्ध एडवोकेट डायवानी तमल में लाई जाउर वाले बरस पत्रावली दिनांक 04/05/2022 को पेश है।</p>	<p>177</p> <p>23/03/22</p>

सहायक कलेक्टर

(S.D.O) बायतु

तारीख हुक्म


हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अहमदाबाद  
हुक्म को  
में जारी है

क्रमांक : १८८ / २०२२

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
(SDO) वायतु

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 553

प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 04/05/2022

विप्रार्थीगण

1. टीकूराम पुत्र नेनाराम,  
जाति जाट, निवासी डेलुओं की ढाणी,  
पटवार मण्डल सोहड़ा,  
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

1. भैराराम पुत्र गुलाराम वगैरा 32,  
जाति जाट, निवासी डेलुओं की ढाणी,  
पटवार मण्डल सोहड़ा,  
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 110/2022

#### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - डेलुओं की ढाणी, पटवार मण्डल - सोहड़ा, तहसील - गिड़ा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 311/50, 318/50 रकबा क्रमशः 0.8094, 1.1574 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक वाद / 2022 / 554 - 558

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का सोहड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री टीकूराम पुत्र नेनाराम,
4. विप्रार्थी श्री भैराराम पुत्र गुलाराम वगैरा 32,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक 04/05/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु